

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्व लोक अदालत अभियान
ग्राम आपके द्वार-2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खिनानियां)

1. प्रहलाद पुत्र रामजस जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. बृजलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
3. हरिराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।

-वादीगण

- बनाम
1. रामजस पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
 2. परमादेवी पत्नी रामजस जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
 3. कमला पुत्री रामजस पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
 4. विमला पुत्री रामजस पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
 5. इन्द्रा पुत्री रामजस पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
 6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-319/2018
अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए
निर्णय दिनांक:-29.6.2018

वादी की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 रामजस के नाम से चक नं. 1 ए बारानी के खाता संख्या 168 में कुल 9.867 है. वादीगण व प्रतिवादी स्वयं को निम्नानुसार प्राप्त हुई है-

(क)-वादी संख्या 1 प्रहलाद को बंटवारा में प्राप्त आराजी- चक नं.1 ए बारानी के खाता संख्या 168 प.नं. 262/365 कि.नं. 6/253 है., प.नं. 263/365 कि.नं. 1 से 3/0.759 है.,8 से 13/1.518 है. कुल 2.530 है.अनकमाण्ड भूमि।

(ख)-वादी संख्या 2 बृजलाल को बंटवारा में प्राप्त आराजी- चक नं. 1 ए बारानी के खाता संख्या 168 प.नं. 262/365 कि.नं. 17 से 24/2.024 है.,प.नं. 262/366 कि.नं. 2-3/0.506 है. कुल 2.530 है.अनकमाण्ड भूमि।

(ग)-वादी संख्या 3 हरिराम को बंटवारा में प्राप्त आराजी-चक नं.1 ए बारानी के खाता संख्या 168 प. नं.262/364 कि.नं. 15,16,25/0.759 है.,प.नं. 263/364 कि.नं. 11,12/0.506 है.,19 से 22/1.012 है.,प.नं. 262/365 कि.नं. 5/0.253 है. कुल 2.530 है.अनकमाण्ड भूमि।

उपर्युक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत रखे जाने के आदेश के दिये जाते है व वादीगण के नाम से उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किय जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0